संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)(16)/70–खण्ड–41–2385–2387
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ।

प्रेषकः
निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

प्रेषितः
प्रधान सचिव(शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला–171002.

दिनांक, 15.05.2015. शिमला –171009 ----------

विषयः हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का वर्श 2013–2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। आपसे अनुरोध है कि सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर आगामी कार्रवाई करके पैरावार उत्तर प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को प्रस्तुत करने हेतु उचित निर्देश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय,

हस्ता/–
अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याःयथोपरि, दिनांक 15.05.2015 शिमला–171009,
प्रतिलिपि :–

1. सचिव,{शिक्षा}, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित पैरों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित सटिप्पण उत्तर उप नियन्त्रक(लेखा परीक्षा), निवासी अंकेक्षण योजना, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला को शीघ्र प्रेषित करें।
2. प्रभारी, निवासी अंकेक्षण योजना,, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेशित है।

हस्ता/–
अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

<u>प्रस्तावना</u>

1. यह प्रतिवेदन हि0 प्र0 सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा–15(4) अनुसार तैयार किया गया है ।
2. हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षित लेखे बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित किए जाने अपेक्षित हैं ।
3. प्रतिवेदन के परिशिष्ट –ए में अवधि 9/1969 से 31.3.2013 तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण दिया गया है ।
4. प्रतिवेदन के भाग–II में बोर्ड की वित्तीय स्थिति, बोर्ड की प्राप्तियों के मुख्य स्त्रोत व विचाराधीन वर्ष 2013–14 की पूर्व व पोस्ट आडिट आपत्तियों का सविस्तार विवरण दिया गया है ।
5. इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट–बी में स्कूल शिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखा पर की गई ऑडिट टिप्पणियों का विवरण दिया गया है ।

<u>हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन</u>
<u>अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.14</u>

<u>विषय सूची</u>

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्याः
1.	प्रस्तावना	1
2.	प्राक्कथन	3
3.	कार्य पालक सार	3
4.	विचाराधीन वर्ष के मुख्य–2 जांच परिणामों का सक्षिप्त विवरण/ओवर व्यू ।	3–4
5.	बोर्ड की आय व व्यय के वित्तीय विश्लेषण ।	4–7
6.	गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित असमायोजित पैरों बारे ।	7
7.	बोर्ड की वित्तीय स्थिति	7–9
8.	बोर्ड की आय एवं व्यय के मुख्य साधन	9
9.	निवेशों का विवरण	9
10.	अंकेक्षण शुल्क	13
11.	विचाराधीन वर्ष 2013–14 की अंकेक्षण आपत्तियों का सविस्तार विवरण ।	13–38

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग—एक

(1.1) प्राक्कथनः— हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम 1968 की धारा 15, के अनुसार बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण उस संस्था द्वारा किया जाएगा जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा तदानुसार हि0 प्र0 के शिक्षा विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्याः 21—3/70— दिनांक 18.03.1971 द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षण करने के लिए हि0 प्र0 वित्त विभाग के स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को बतौर निवासी अंकेक्षण योजना के आधार पर प्राधिकृत किया गया था ।

(1.2) कार्यपालक सारः— उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने इस संस्था में बतौर कार्यपालक कार्य किया हैः—

क0 सं0	पदनाम	नाम	अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री बी आर बर्मा(आई.ए.एस.) श्री बलवीर तेगता (सेवा निवृत आई.ए.एस.)	1.4.13 से 2.7.13 2.7.13 से 31.3.14
2.	सचिव	श्रीमती राखिल काहलों (एचएएस) श्री बलवीर ठाकुर (एचएएस)	1.4.13 से 28.2.14 1.3.14 से 31.3.14
3.	उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)	श्री प्रवीण चौधरी (एसएएस)	01.04.13 से 31.3.14

(1.3) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों अवधि 2013—2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की जांच कर ली गई है । अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क0सं0	विवरण	पैरा सं0	₹लाखों में
1.	रोकड़ वही शेषों व बैंक खातों के शेषों में अन्तर शेष	पैरा 3(i)	117.19
2.	छात्रों से परीक्षा शुल्क राशि की बसूली शेष	पैरा–13	2.11
3.	हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग से पुस्तकों के क्रय हेतु प्राप्त राशि का समायोजन न करना ।	पैरा 12	992.10
4.	वर्श के दौरान प्राप्त राशियों में से बैंक में कम राशि जमा बारे ।	पैरा–15(i)	12.40
5.	पुस्तक विक्रय केन्द्रों में बैंक में कम जमा राशि बारे	पैरा–21(3)	1.16
6.	पुस्तकों का स्टॉक में कम पाया जाना ।	पैरा–22(1)	0.18
7.	पुस्तकें अन्य स्टॉक रजिस्टरों में अग्रेणित न करने बारे।	पैरा–22(2)	1.84
8.	शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 के लिए कक्षा छठी से आठवीं की पुस्तकों को बिना टैंडर आंमत्रित किए पुरानी दरों पर मुद्रित करवाने के कारण हानि बारे ।	पैरा–23	22.73
9.	एस0ओ0एस0 की पुस्तकों का मुद्रण अधिक दरों पर करवाने के कारण हानि बारे ।	पैरा–24	8.95
10.	परीक्षाओं के परिणाम के कार्य को आउटसोर्स करवाने बारे ।	पैरा'26	14.39
11.	बोर्ड की सामान्य निधि से पैंशन निधि में हस्तान्तरण बारे ।	पैरा–27	399.74
12.	अग्रिम राशियों का समायोजन न करना ।	पैरा–28	2502.19

(1.4) वित्तीय विश्लेषणः– बोर्ड की वर्ष 2013–14 की आय व व्यय पर तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण निम्नलिखित है ।

(1) **प्राप्तियांः–**

(i) बोर्ड में वर्ष 2013–14 के द्वारा ₹279133791/– की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई जो कि कुल आय का 43 प्रतिशत है ।

(ii) वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड ने पुस्तक विक्रय से ₹298995423.50/– की राशि प्राप्त की जो कुल आय/प्राप्तियों का लगभग 46 प्रतिशत है । जो पिछले वर्ष 54 प्रतिशत था । इस वर्ष इस मद की आय में 8 प्रतिशत की कमी आई है ।

(2) व्यय :–

(i)वेतन व भत्ता की अदायगीः– बोर्ड द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर कुल ₹199308589/– खर्च किए हैं जो कुल व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः 34 प्रतिशत व 31 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2012–13 के दौरान इस मद पर कुल खर्च ₹196439295/– किया गया था जो कुल व्यय व आय का क्रमशः 43 प्रतिशत व 38 प्रतिशत था ।

(ii)चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्ययः– वर्ष 2012–13 में बोर्ड ने उक्त शीर्ष के अन्तर्गत ₹1674235/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष ₹1166076/– चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय किए गए हैं।

(iii)यात्रा भत्ता पर व्यय :– वर्ष 2012–13 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी पर बोर्ड ने ₹1883156/– व्यय किए थे जबकि वर्ष 2013–14 में यह खर्चा ₹2402759/– हुआ है, परिणामस्वरूप 2013–14 में गत वर्ष की तुलना में उपरोक्त मद पर ₹519603/–अधिक व्यय हुए हैं ।

(iv)पैंशन निधि :– वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान पैंशन निधि में प्राप्त राशियों व व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न हैः–

	वर्ष 2012–13	**वर्ष 2013–14**
प्राप्तियां	50907605	45667877
व्यय	53288424	64130200

(v)पुस्तकों का मुद्रणः– वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड ने कागज की खरीद पर ₹134546536/– व पुस्तकों के मुद्रण पर ₹22291860/– व्यय किए इस प्रकार कागज खरीद व पुस्तक मुद्रण पर कुल ₹156838396/– खर्च किए गए जबकि पुस्तकों की विक्री से बोर्ड ने ₹298995423/– प्राप्त किए । यद्यपि कुछ पुस्तकें व कागज स्टाक में शेष रहने के साथ–2 कुछ संस्थापन खर्च/overhead charges पर भी व्यय किए गए होगें तथा पिछले वर्ष का शेष कागज व पुस्तकें इस वर्ष क्रमशः प्रयोग व विक्रय भी की गई होगी ।

(vi) **परीक्षा संचालन शीर्ष** :– विचाराधीन वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड ने परीक्षा संचालन पर कुल ₹307449113/– खर्च किए जबकि परीक्षा शीर्ष के अर्न्तगत प्राप्त आय ₹279133791/– है । इस प्रकार बोर्ड को इस मद के अन्तर्गत भी ₹28315322/– की क्षति उठानी पड़ी है ।

(vii) **गोपनीय निधिः–** वर्ष 2012–13 के दौरान गोपनीय निधि को ₹10000000/– सामान्य निधि से स्थानान्तरित किए थे जबकि इस वर्ष ₹1140000000/– उक्त निधि को स्थानान्तरित किए गए हैं ।

(viii) **कार्यालय/प्रशासनिक व्ययः–** बोर्ड द्वारा वर्ष 2012–13 में कार्यालय व्यय पर ₹12316910/– खर्च किए जबकि इस वर्ष 2013–14 में ₹14811361/– व्यय किए गए ।

(i) **बिजली पानी का खर्चाः–** वर्ष 2012–13 में बिजली पानी पर किया गया खर्चा ₹1327744/– था जबकि वर्ष 2013–14 में यह खर्चा बढ़कर ₹1751780/–हुआ है, परिणामस्वरूप वर्श 2013–14 में उपरोक्त मद पर ₹424036/– अधिक व्यय हुए।

(ii) **हाट एण्ड कोल्ड पर व्ययः**– इस मद पर वर्ष 2012–13 के दौरान व्यय ₹310/– था जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान 7056/– का व्यय किया गया है ।

(iii) **डाक सेवा टिकट पर व्ययः–** बोर्ड ने इस मद पर वर्ष 2012–13 में ₹5360538/– व्यय किए थे जबकि इस वर्ष 2013–14 में ₹3921028/– खर्च किए गए ।

(iv) **<u>टेलीफोन/ई0पी0बैक्स</u>**:– इस मद पर वर्ष के दौरान ₹1001376/– व्यय किए गए जबकि पिछले वर्ष ₹798979/–व्यय किए गए थे ।

(v) **<u>स्टेशनरी/बांईडींग</u>**:– वर्ष 2012–13 में स्टेशनरी/बाईंडिगं पर किया गया खर्चा ₹482268/– था जबकि वर्ष 2013–14 में यह खर्चा बढ़कर ₹643975/– हुआ है ।

1.5. **<u>गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन</u>** :– पूर्ववर्ति वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बहुत से पैरे जिनका विवरण परिशिष्ट **'..ए..'** में दिया गया है । वांछित अनुपालना न करने के कारण अभी तक शेष है तथा इनके निपटारे हेतू कार्यवाही न करने की वजह से वर्ष दर वर्ष अनिर्णीत पैरों में बढ़ौतरी हो रही है । अतः बोर्ड के प्राधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि गत अनेक वर्षों से अनिर्णीत चले आ रहे अनेक पैरों के शीघ्र निपटारे हेतू वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से उप–नियंत्रक ले0 प0 तथा इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

<u>भाग–2</u>

<u>2. वर्तमान अंकेक्षण :</u>– हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्याः 21–3/70–शिक्षा–11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी । अवधि 1.04.2013 से 31.03.2014 तक श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियंत्रक (ले0प0) इस योजना के प्रभारी रहे तथा इस काल में अन्य स्टॉफ भी कार्यरत रहा है ।

"Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the Institution.

Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for detailed check for post audit."

<u>3. वित्तीय स्थिति</u>:– (i) रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति तुल्नात्मक रूप में निम्न प्रकार से है :–

	2012–13	2013–14
1. गत शेष	336961428.19	391893407.99
2. प्राप्तियां	512476943.80	645446583.10
3. योग	849438371.99	1037339991.09
4. भुगतान	457544964.00	585565956.00
5. अन्तिम शेष	391893407.99	451774035.09

दिनांक 31.3.2014 को बैंक में जमा राशियों का विवरणः–

1.	विभिन्न बैंक बचत खातों में जमा राशि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट 'बी..	249844616.02
2.	विभिन्न बैंकों में निवेशित राशि अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट '..सी...'	242100000.00
	योगः–	**491944616.02**

रोकड़ वही तथा बैंक शेष के आंकड़ों में ₹40170580.93 का अन्तर परिलक्षित हुआ है जिसमें से ₹28451814/– का अन्तर निम्न कारणों से है ।

1.	विभिन्न प्राप्त चैक/बैंक ड्राफट जिनका क्रेडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक नहीं दिया गया ।	747729.00
2.	दिनांक 1.1.2014 से 31.3.2014 तक जारी चैकों की राशि जो दिनांक 31.3.2014 तक बैंक खाता से भुनाए नहीं गए थे।	(–)29199543.00
	योगः–	(–) 284511814.00

इस प्रकार ₹28451814/– का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष में तथा कैश बुक के अन्तिम शेष में ₹11718766.93 का अन्तर शेष रहता है । इस अन्तर के मिलान हेतू न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है यह बहुत ही आपत्तिजनक है । रोकड़ बही के बैंक से समाधान हेतु उचित पग उठाये जाऐं ।

(ii) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के लेखाओं वर्ष 2013–14 का वार्षिक लेखा, ऑडिट टिप्पणियों सहित इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बतौर परिशिष्ट **'बी'** के रूप में संलग्न है ।

(iii) हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 14(सी) में यह प्रावधान है कि वार्षिक शुद्व बचत की राशि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 सरकार के पास शिक्षा के सुधार हेतू जमा करवाई जानी अपेक्षित है। वर्ष 2013–14 के अन्त शेष ₹491944616.02 में से कोई राशि हि0 प्र0 सरकार को उपरोक्त उदेश्य हेतू नहीं भेजी गई है तथा न ही इसका वर्ष 2013–2014 के बजट में कोई प्रावधान रखा गया है जोकि निश्चित तौर पर अधिनियम की उल्लघंना है जबकि इस प्रकार की आपत्ति गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी उठाई गई थी इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी है । अतः बोर्ड प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित करें ।

(iv) **आय व व्यय के प्रमुख साधन** :– बोर्ड की आय के मुख्य स्त्रोत परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क की बसूली तथा पुस्तकों का विक्रय तथा व्यय में वेतन भत्तों का भुगतान, परीक्षा संचालन तथा पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदें शामिल हैं ।

(v) निवेशः– बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.2014 को सामान्य खाते में से परिशिष्ट......**सी**......के अनुसार ₹242100000 / – सावधि जमा खाते में निवेश की गई थी ।

4. सामान्य भविष्य निधिः– सामान्य भविष्य निधि की वर्ष 2013–2014 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

1. गत शेष	160489409.24
2. प्राप्तियां	69127111.00
3. योगः–	229616520.24
4. भुगतान	70387122.00
5. अन्तिम शेष	159229398.24
(क) बैंक खाता का दिनांक 31.3.2014 को शेष	4855370.24
(ख) दिनांक 31.3.2014 को भविष्य निधि में से निवेशित राशियां (परिशिष्ट'डी')	**154374028.00**
अन्तिम शेष	159229398.24

(i) सामान्य भविष्य निधि में से विभिन्न बैंकों में सावधि जमा में निवेश की गई राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट **'डी'** में दिया गया है ।

(ii) उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2013–2014 के अन्त में सामान्य भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी ₹204928050/– थी जोकि 31.3.2014 को बैंकों में पड़ी उपरोक्त कुल ₹159229398.24 से ₹45698651.76 अधिक है । अतः इस निधि में बढ़ रही देनदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है ।

5. (i)पैंशन निधिः– पैंशन निधि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है :–

1. गत शेष	411073368.00
2. प्राप्तियां	45667877.00
3. कुल योग	456741245.00
4. भुगतान	64130200.00
5. अन्तिम शेष	392611045.00
6. दिनांक 31.3.14 को बैंक में अन्तिम शेष का	
(क) बैंक खाता का शेष	2148249.00
(ख) निवेशित राशियॉ	390463796.00
कुल योगः–	**392612045.00**

बैंक में ₹1000/–रू0 अधिक जमा पाए गए हैं जो दिनांक 12.3.2012 को जमा करवाए गए थे जिसका विवरण पिछले अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी किया गया था ।

(ii) पैंशन निधि में से दिनांक 31.3.14 को निवेश की गई राशियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट **'.ई...'** में दिया गया है ।

(iii) पैंशन निधि का प्रबन्धनः– पैंशन निधि से भविष्य में सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की देनदारियों की अदायगी का आंकलन बोर्ड प्रशासन ने वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक Chartered Accountant से करवाया गया है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट ..एफ..के रूप में संलग्न है । इस निधि की व्यवहारिकता का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाता है ।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	योग	दायिता/भुगतान	अन्तिम शेष
2013–14	411073368	45667877	456741245	64130200	392611045
2014–15	392611045	40000000	432611045	106190898	326420147
2015–16	326420147	35000000	361420147	117506583	243913564
2016–17	243913564	30000000	273913564	160682425	113231139
2017–18	113231139	25000000	138231139	158842203	(–)20611064

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार वर्श 2017–18 में पैंशन निधि में घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस फण्ड में अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या सेवा निवृति के कारण निरंतर कम होती जाएगी जिसके कारण लगभग 50 लाख का अंशदान/प्राप्तियां प्रत्येक वर्ष कम होती जायेगी व पैंशन धारकों की संख्या बढ़ने के कारण liability हमेशा बढ़ती जाएगी तथा पैंशन निधि की जीवनक्षमय (viability)पर संकट उत्पन्न होना निश्चित है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि पैंशन योजना को जीवनक्षमय बनाये रखने के लिए अभी से विशेष ध्यान देते हुए स्वीकृत पैंशन योजना के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए तथा आवश्यक हो तो मामला सरकार से भी उठाया जाए ।

6. **उपदान निधिः–** उपरोक्त निधि की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

	वर्ष 2013–14
गत शेष	3390018.00
प्राप्तियां	24296255.00
कुल योग	27686273.00
भुगतान	25265849.00
अन्तिम शेष	2420424.00
बैंक खाता में दिनांक 31.3.14 को शेष	2420424.00

7. (i) **<u>अध्यापक कल्याण निधिः</u>** उपरोक्त निधि की वर्ष 2013–2014 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है ।

गत शेष	10352091.63
प्राप्तियां	1491654.00
कुलयोग	**11843745.63**
भुगतान	34969.00
अन्तिम शेष	11808776.63
दिनांक 31.3.14 को बैंक व निवेशों की राशि का विवरण	
निवेशित राशि	**11246726.00**
बैंक खाता में राशि	562050.63
योग	**11808776.63**

(ii) अध्यापक कल्याण निधि से किए गए निवेशों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क0 सं0	**एफ0डी0 आर0 नं0**	**निवेश राशि**	**परिपक्वता तिथि**	**परिपक्वता राशि**	**बैंक का नाम**
1.	33019966446	2176024	27.5.14	2372765	एस.बी.आई.धर्मशाला
2.	65170594153	3332616	25.6.14	3633928	एसबीपी धर्मशाला
3.	33064328562	1122123	16.6.14	1223578	एसबीआई धर्मशाला
4.	33057429042	134367	14.6.14	146516	–यथोपरि–
5.	3305470068	2481596	20.8.14	2705965	–यथोपरि–
6.	33231254084	**2000000**	**23.8.14**	2180826	–यथोपरि–
	योगः–	**11246726**			

(iii) इस निधि में से इस वर्ष केवल ₹34969/– ही व्यय किए गए हैं जबकि दिनांक 31.3.2014 को ₹11808776.63 अनुपयुक्त शेष थे । इस निधि को अध्यापक एवम् बोर्ड कल्याणार्थ व्यय न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

8. **<u>गोपनीय निधिः–</u>** सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.14 को ₹1002207.60 अनुपयुक्त शेष थे, जिसे वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

9. **<u>अनुदानः</u>**– अंकेक्षण में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है ।

10. **<u>ऋणः–</u>** वर्ष 2013–14 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष है ।

11. **<u>अंकेक्षण शुल्कः–</u>** निवासी अंकेक्षण योजना, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2013–2014 हेतू ₹4200064/–आंका गया है। जिसे सरकारी कोष में दिनांक 04.04.2015 को जमा करवा दिया गया है।

<u>12. शिक्षा विभाग को उधार वेची गई पुस्तकों के सम्बन्ध में</u> :–

स्कूल शिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 31.3.2014 तक शिक्षा विभाग से निम्न विवरणानुसार ₹99210125/– अग्रिम राशि प्राप्त हुई है । इनका समायोजन भविष्य में विक्री होने वाली पुस्तकों के विरूद्व किया जाना सुनिश्चित किया जाऐ ।

		उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	**प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षा निदेशालय**
1.	गत शेष {बसूली योग्य राशि(+)/प्राप्त अग्रिम राशि(–)}	शून्य	(–) 84000000.00
2.	वर्ष 2013–14 के दौरान उधार विक्री	87455401.00	71189875.00
3.	कुल (2–1)	87455401.00	(–)12810125.00
4.	छूट (Discount)	–	(–)8400000.00
5.	वर्ष 2013–14 में शुद्व बसूली योग्य राशि (3–4)	87455401.00	(–)21210125.00

6.	**वर्ष 2013–14 में बसूल की गई राशि**	87455401.00	(–)78000000.00
7.	**अन्तिम शेष(बसूली योग्य राशि (+)/प्राप्त अग्रिम राशि(–)**	–श्शून्य–	(–)99210125.00

13. <u>परीक्षा शुल्क ₹211208/– की बसूली शेष ::–</u>

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2013–2014 में 1.4.2013 से 31.3.2014 तक छात्रों से ₹211208/– परीक्षा शुल्क के रूप में देय थी जबकि 31.3.2014 तक कुल कितनी राशि छात्रों से बसूली हेतु लम्बित थी की सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई । परिणामस्वरूप 31.3.2014 तक कुल कितनी राशि, बसूली हेतू लम्बित है की पुश्टि नहीं हो सकी । यह प्रकरण शिक्षा बोर्ड के उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है तथा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इन राशियों की बसूली हेतू आवश्यक पग उठाये जाऐं ।

14. <u>बोर्ड द्वारा प्राप्त आय का विवरण न देने बारेः–</u>

ऑडिट अधियाचना संख्याः 275 व 276 दिनांक 11.12.2014 द्वारा निम्नलिखित आय स्त्रोंतो की कितनी–2 राशि दिनांक 31.3.2014 तक बसूली हेतु लम्बित थी, बारे सूचना मांगी गई थी, परन्तु लेखा परीक्षा को आज दिन तक यह सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसके अतिरिक्त बोर्ड की अन्य सम्पति जोकि खाली पड़ी है की सूचना भी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई है । यह बहुत ही आपत्तिजनक है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त से सम्बन्धित अभिलेख निम्न प्रपत्र पर आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाऐं ।

1. <u>संबद्वता/नवीनीकरण/ग्रेड बढ़ाना शुल्क</u>

क्रम संख्याः	नाम संस्था	दिनांक 31.3.2014 तक बसूली योग्य शुल्क

2. <u>परीक्षा केन्द्र अवरोधन शुल्क/पुराने परीक्षा केन्द्रों का अनुवर्ती शुल्क</u>

कक्षा	दिनांक 31.3.2014 तक बसूली योग्य शुल्क

3. **खाली पड़े आवास के बारे में:–**

(i) आवासीय क्वार्टरज को नकारने बारे:–

नाम कर्मचारी	आंबटन तिथि	टाईप क्वाटर	दिशा लोकेशन

(ii) खाली पड़े आवास बारे:–

कर्वाटर टाईप	किस तिथि से खाली	दिशा लोकेशन

4. **अन्य सम्पति जो खाली हो**

सम्पति का नाम	दिशा लोकेशन	खाली पड़ने की अवधि	निर्माण/प्राप्ति तिथि	निर्माण/प्राप्त करने का खर्चा

15-(i) **वर्ष 2013–14 में आय रजिस्टर एवं बैंक विवरणी में जमा राशि के मिलान करने पर बैंक में ₹1240417/– कम जमा बारे ।**

वर्ष 2013–14 में बोर्ड की आय शाखा द्वारा अर्जित की गई विभिन्न बैंक चैकों द्वारा प्राप्त राशियां जो कि बैंक में जमा करवाई दर्शाई गई, के विरूद्व बैंक में कम राशियां क्रेडिट की गई जिसका विवरण निम्नलिखित दिया गया है परिणामस्वरूप **₹1240417/–** बैंक में कम जमा हुई जिसकी जांच करके कम राशि की बसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठाया जाऐ तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

कंमाक	लाट नं0	लॅाट राशि	बैंक में जमा राशि	बैंक में कम जमा राशि	नाम बैंक
1	20	3878	2878	1000	एसबीपी
2	217	51996	51786	210	–यथो0–
3	711	2000	शून्य	2000	एसबीआई
4	429	178580	176680	1900	पीएनबी
5	271	4430	4220	210	
6	338	10010	9810	200	
7	326	16680	16480	200	
8	330	13805	13605	200	
9	288	8280	8070	210	
10	532–ए	200	शून्य	200	

11	173	3320	2860	460	
12	82	19560	19370	390	कैनरा
13	688	5480	5430	50	विजय
14	2	12344	शून्य	12344	केसीसी
15	3	1054	—यथो0—	1054	—यथो0—
16	4	1200	—यथो0—	1200	—यथो0—
17	13	10170	—यथो0—	10170	—यथो0—
18	23	14230	—यथो0—	14230	—यथो0—
19	20	12650	—यथो0—	12650	—यथो0—
20	31	5460	—यथो0—	5460	—यथो0—
21	192	30900	—यथो0—	30900	—यथो0—
22	206	19600	—यथो0—	19600	—यथो0—
23	272	21900	—यथो0—	21900	—यथो0—
24	289	75950	—यथो0—	75950	—यथो0—
25	293	44981	—यथो0—	44981	—यथो0—
26	327	8642	—यथो0—	8642	—यथो0—
27	331	26700	—यथो0—	26700	—यथो0—
28	351	4520	—यथो0—	4520	—यथो0—
29	452	199659	—यथो0—	199659	—यथो0—
30	461	135930	—यथो0—	135930	—यथो0—
31	463	38100	—यथो0—	38100	—यथो0—
32	529	73040	—यथो0—	73040	—यथो0—
33	606	16040	—यथो0—	16040	—यथो0—
34	611	23990	—यथो0—	23990	—यथो0—
35	614	18654	—यथो0—	18654	—यथो0—
36	628	770	—यथो0—	770	—यथो0—
37	633	1020	—यथो0—	1020	—यथो0—
38	637	6200	—यथो0—	6200	—यथो0—
39	650	14500	—यथो0—	14500	—यथो0—
40	655	5160	—यथो0—	5160	—यथो0—
41	668	23350	—यथो0—	23350	—यथो0—
42	673	6100	—यथो0—	6100	—यथो0—
43	683	2080	—यथो0—	2080	—यथो0—
44	686	1890	—यथो0—	1890	—यथो0—
45	690	4000	—यथो0—	4000	—यथो0—
46	695	4920	—यथो0—	4920	—यथो0—

47	706	474	—यथो0—	474	—यथो0—
48	709	25269	—यथो0—	25269	—यथो0—
49	714	14430	—यथो0—	14430	—यथो0—
50	718	75880	—यथो0—	75880	—यथो0—
51	816	420	—यथो0—	420	—यथो0—
52	780	28900	28800	100	—यथो0—
53	768	42160	41960	200	—यथो0—
54	767	36450	36150	300	—यथो0—
55	763	52040	51240	800	—यथो0—
56	697	15150	14950	200	—यथो0—
57	665	96610	95610	1000	—यथो0—
58	663,68,73,83,90,95,699	78890	49990	28900	—यथो0—
59	623,28,33,37,41,50,55,658	57320	42950	14370	—यथो0—
60	449,447,117,230,241,222,343, 294,250,259	836855	632215	204640	—यथो0—
61	453,492,536,516,468,494,474, 490,478—ए,467	601966	601466	500	—यथो0—
			योग	1240417	

(ii) उपरोक्त कम प्राप्त राशियों के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों का क्रेडिट बैंक द्वारा अधिक दिया गया है । अतः सम्बन्धित बैंकों से यह स्पष्ट करवाया जाए कि किन—2 कम प्राप्त क्रेडिट के विरूद्व बैंक द्वारा अधिक राशि का क्रेडिट दिया गया है । ताकि कम प्राप्त राशियों का समायोजन अधिक प्राप्त राशियों से किया जा सके तथा वास्तविक कम प्राप्त राशियों का विवरण स्पष्ट हो सके ।

क्रमांक	लॉट नं0	लॉट राशि	बैंक में जमा राशि	बैंक में अधिक जमा राशि	नाम बैंक
1.	96	10550	10560	10	एसबीपी
2.	38	3750	4750	1000	बीओआई
3.	685,688,725,696,599, 687,691,629 व 700	398002	399892	1890	केसीसी
4.	584,546,541,553,609, 616,615,298,604,231	155803	192476	36673	—यथो0—
5.	497,532,472,505,511, 534,530,528,538	638620	774700	136080	—यथो0—
6.	373,271,274,279,277,	434877	436267	1390	—यथो0—

	272,263,216,185,217				
7.	**430,462,431,440,445, 83,88,95,92,177**	**414725**	**432375**	**17650**	**—यथो0—**
8.	**287,240,223,248, 290,288,293,235, 286,331**	**803071**	**803121**	**50**	**—यथो0—**
			योगः—	**194743**	

16. **<u>शून्य प्राप्त राशि के लिए प्राप्ति रसीदें जारी करनाः—</u>** बोर्ड द्वारा वर्ष 2013—14 में प्राप्त आय से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख की जांच के दौरान पर पाया गया कि अधिकतर बोर्ड रसीद नम्बरों के अन्तर्गत प्राप्त राशि शून्य दर्शाई गई है । जबकि नियमानुसार राशि प्राप्ति रसीद तभी जारी की जाती है जब वास्तव में राशि प्राप्त की हो न कि शून्य प्राप्त राशि के लिए कभी भी रसीद जारी नहीं की जाती है । इस प्रकार का प्रकरण पूरे साल चलता रहा है तथा इस प्रकार की रसीदों की संख्या हजारों में होगी उदाहरण के लिए बोर्ड रसीद नं0 212697 से लेकर बोर्ड रसीद नं0 212734 तक दिनांक 1.4.13 को बोर्ड के computer system द्वारा जारी की गई परन्तु निम्नलिखित बोर्ड रसीद नं0 शून्य राशि के लिए जारी की गई है ।

क0सं0	**बोर्ड रसीद नं0**	**राशि**
1.	212698	शून्य
2.	212700	शून्य
3.	212701	शून्य
4.	212702	शून्य
5.	212710	शून्य
6.	212712	शून्य
7.	212720	शून्य
8.	212724	शून्य
9.	212731	शून्य
10.	212733	शून्य
11.	212734	शून्य

बोर्ड प्रशासन के ध्यानार्थ यह मामला ऑडिट अधियाचना संख्याः 293 दिनांक 26.12.2014 के अन्तर्गत लाया गया था तथा अनुरोध किया गया था कि उपरोक्त दर्शाई गई

बोर्ड रसीदों के साथ–2 पूरे वर्श जो शून्य राशि के लिए बोर्ड रसीदें जारी की गई हैं उनकी विभागीय स्तर पर जांच कर ली जाए कि क्या ये रसीदें वास्तविक रूप में शून्य राशि के लिए ही जारी की गई थी या इनके विरूद्व वास्तविक रूप में भिन्न–2 राशियां प्राप्त की गई थी तथा शून्य राशि दर्शाने का क्या औचित्य था । उपरोक्त के सन्दर्भ में आज दिन तक कोई भी स्पष्टीकरण बोर्ड प्रशासन की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि शून्य राशि के लिए बोर्ड द्वारा रसीद जारी करने का क्या औचित्य था इसके अतिरिक्त यदि यह बोर्ड में स्थापित computer system के soft ware की खामी है तो इसमें आवश्यक सुधार करते हुए यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में केवल बोर्ड रसीद नं0 वही दर्शाया जाए जहां राशि प्राप्त की गई हो ।

17. <u>Computerized जारी रसीदों पर बाद में कांट–छांट करने बारेः–</u>

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2013–14 में प्राप्त आय से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख विभिन्न lots में प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच उपरान्त पाया गया कि वर्ष के दौरान प्राप्त आय के आंकड़ों को manually ठीक करके दर्शाया गया है जोकि अनियमित है क्योंकि जब प्रत्येक प्राप्त राशि के लिए system द्वारा computerized receipts जारी की जा रही है तो उससे सम्बन्धित अभिलेख बाद में हाथ द्वारा (manually) कांट–छांट करने का क्या औचित्य है । जो राशि ठीक (correct) की गई है के सम्बन्ध में कोई भी विवरण नहीं दिया गया जिससे आय का सही मिलान किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है । जो राशियां manually correct की गई है का विवरण परिशिष्ट ..जी.. में दर्शाया गया है । यह मामला अधियाचना संख्या 294 दिनांक 26.12.2014 द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में लाया गया था । परन्तु आज दिन तक इस पर उन की ओर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई राशि ₹88944/– बारे पूर्ण विवरण अब दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

18. <u>ब्याज की कम प्राप्तिः</u>– सामान्य भविष्य निधि से परिशिष्ट 'एच' में दर्शाए गए निवेशों को परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाया गया तथा भुनाने पर बैंक से प्रत्येक के आगे दर्शाई गई

राशियां ब्याज के फलस्वरूप अर्जित की गई जोकि बहुत कम प्रतीत होती है तथा इससे सम्बन्धित बैंक विवरणी/बैंक प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये परिणामस्वरूप परिपक्वता तिथि से पूर्व भुनाये गये इन निवेशों पर बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की गणना की पुष्टि नहीं हो पाई है । सम्बन्धित बैंकों से इस सम्बन्ध में बैंक विवरण/बैंक प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाऐं अगर उस समय की दर से कम दर पर ब्याज दिया गया हो तो कम ब्याज की बैंक से बसूली सुनिश्चित की जाए ।

19. **<u>सामान्य निधि से एक ही अवधि, राशि व दिनांक के निवेशों पर अलग–2 ब्याज दरों पर निवेश करने बारेः–</u>**

निवेश रजिस्टर की जांच पर पाया गया कि बोर्ड प्रशासन द्वारा सामान्य निधि से निवेशित निम्नलिखित राशियां विभिन्न बैंक में अलग–2 ब्याज दरों पर निवेश की गई हैं जोकि वित्त विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन–आईएफ (ए)1–3/91–V दिनांक 6.11. 2008 के प्रावधानों के विपरीत है । उक्त पत्र में वित्त विभाग ने 100 प्रतिशत फालतू निधि (surplus funds) को हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक/कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में वित्तीय सूझ–वूझ विशेषतः प्रतियोगी ब्याज दरें प्राप्त करने उपरान्त निवेशित करने की हिदायतें दी गई थी । जिसके अनुसार बोर्ड प्रशासन को सभी बैंकों से प्रतियोगी ब्याज दरें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी तथा जो बैंक अधिक ब्याज दर देने के लिए सहमत होता उसी से निवेश किए जाने अपेक्षित थे परन्तु निम्नलिखित निवेश राशियां बिना प्रतियोगी ब्याज दरें प्राप्त किए ही निवेशित की गई है जोकि वित्त विभाग के उपरोक्त वर्णित पत्र व वित्त नियमावली के विपरीत है ।

इस प्रकार निम्न विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि राशियों को उचित ढंग से बोर्ड प्रशासन द्वारा निवेशित नहीं किया जा रहा है जो बैंक बोर्ड को अधिक ब्याज देने को सहमत होता उसी बैंक में राशियों का निवेश किया जाना चाहिए था। इस प्रकार से वित्तीय मापदण्डों का सरासर उल्लघंन है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इन निवेश राशियों को उक्त वित्त विभाग के पत्र की अनुपालना न करते हुए अलग–2 दरों से निवेश करने का औचित्य स्पष्ट किया

जाए तथा बिना प्रतियोगी ब्याज दरों के राशियों को निवेश करने के कारण कम प्राप्त ब्याज राशि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए ।

कमांक	एफडीआर नं0	राशि	निवेश तिथि	निवेश अवधि	ब्याज दर प्रतिशत	बैंक का नाम
1.	337300PV000003466	50लाख	31.12.13	270दिन	7.5	पीएनबी
2.	793156110001209	50लाख	–यथो0–	270दिन	8	बैंक आफ इण्डिया
3.	65184621694	50लाख	–यथो0–	270दिन	7.5	एसबीपी
4.	013600BR00000563	50लाख	31.12.13	270दिन	7.5	पीएनबी
5.	50185245164	50लाख	29.12.13	240दिन	8.5	इलाहवाद
6.	11510310035221	50लाख	29.12.13	240 दिन	8.75	यूको
7.	1029303101546	50लाख	28.12.13	240दिन	9	ओबीसी
8.	11510310043431	50लाख	24.12.13	200दिन	9.05	यूको
9.	20623070000322	50लाख	24.12.13	210दिन	7	केनरा
10	50057498789	50लाख	26.12.13	210दिन	7.25	केसीसी
11.	50185135149	50लाख	28.12.13	210दिन	8.5	इलाहवाद
12.	50054937957	50लाख	26.3.13	1 वर्ष	8.75	केसीसी
13.	65164482392	50लाख	26.3.13	1 वर्ष	9	एसबीपी
14.	013600BR00000615	50लाख	26.3.13	1 वर्ष	9	पीएनबी
15.	11510310037140	50लाख	26.3.13	1 वर्ष	9.10	यूको
16.	11510310034859	50लाख	6.12.12	1 वर्ष	9.10	यूको
17.	65156100979	50लाख	6.12.12	1 वर्ष	8.75	एसबीपी
18.	337300PU00003165	50लाख	6.12.12	1 वर्ष	9	पी एनबी
19.	20624010063333	50लाख	24.12.12	1 वर्ष	9.05	केनरा
20.	65157472608	50लाख	24.12.12	1 वर्ष	8.75	एसबीआई
21.	65157472574	50लाख	24.12.12	1 वर्ष	8.75	एसबीपी
22.	3158014025	50लाख	26.12.12	1 वर्ष	8.75	सीबीआई
23.	50053750685	50लाख	26.12.12	1 वर्ष	9	केसीसी
24.	50137680668	50लाख	26.12.12	1 वर्ष	9	इलाहवाद
25.	11510310035221	50लाख	29.12.12	1 वर्ष	9.10	यूको
26.	50138444358	50लाख	29.12.12	1 वर्ष	9	इलाहवाद
27.	65157912175	50लाख	31.12.12	1 वर्ष	8.75	एसबीपी

20. सरकार को पुस्तकों की विकी, अधिकतम परचून मूल्य पर करने बारे:– शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रति वर्ष बोर्ड से कक्षा प्रथम से दसवीं तक विभिन्न श्रेणियों के विद्यार्थियों

के लिए एम.आर.पी. पर पुस्तकों का क्रय करके छात्रों को निशुल्क दी जाती है जबकि बोर्ड को उनकी तैयार उत्पादन करने की लागत काफी कम बैठती है । एक ओर, बोर्ड द्वारा अधिनियम, 1968 की धारा 14(2) के अनुपालना में अपनी वार्शिक शुद्व बचत शिक्षा विभाग हि0 प्र0 को स्कूली शिक्षा के सुघार हेतु नहीं भेजी गई तथा दूसरी ओर विक्री की गई पुस्तकें भी एम0आर0पी0 पर ही विक्रय की गई जबकि यह लागत जमा निर्धारित लाभ पर विक्रय की जानी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में आपत्ति वर्ष 2010–11 की अंकेक्षण रिपोर्ट के पैरा संख्याः 23 पर पूर्व में उठाई गई थी लेकिन इसके वावजूद स्थिति यथावत जारी है । इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा वर्ष 2013–14 में हि0 प्र0 शिक्षा विभाग को विक्री की गई पुस्तकों की सूचना अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतू अनुरोध किया गया था लेकिन इस सम्बन्ध में कोई सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गइ परिणामस्वरूप लागत से अधिक चार्ज की गई राशि का आंकलन नहीं हो सका । अतः परामर्श दिया जाता है कि सरकार को विक्री की जाने वाली पुस्तकें लागत पर औचित्य पूर्ण लाभांश पर बिक्री की जाए ।

21. <u>सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कैश मैमों की राशि का बैंक विवरणी से मिलान करने बारे</u>:–

बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के वित्तीय वर्ष 2013–14 के कैश मैमों की जांच के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जिनका शीघ्र समाधान किया जाए।

1) बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्दों के वित्तीय वर्ष 2013–14 के कैश मैमों की जांच, जैसे प्रत्येक कैश मैमों में दर्शाई गई विभिन्न पुस्तकों के रेट व कुल योग करने उपरान्त अंकेक्षण द्वारा निम्न राशि जो प्रत्येक पुस्तक विक्रय केन्द्र के सामने दर्शाई गई है बैंक में कम जमा पाई गई विवरण इस प्रकार से हैः–

क्रमांक	पुस्तक कोड नं0/कैश मैमों बिल नं0	पुस्तक विक्रय केन्द्र का नाम	अंकेक्षण द्वारा किया गया कुल योग	कैश मैमों का योग	अन्तर जो राशि कम जमा करवाई गई
1.	22999,23000 व 24601 दिनांक 31.03.14	चम्बा	6752232	6748632	3600
2	13157 दिनांक 26.4.13	चम्बा	35012	34028	984

3	9514 दिनांक 24.4.13	चम्बा	9746	9726	20
4.	9537 दिनांक 2.5.13	चम्बा	5376	5321	55
5.	14302 दिनांक 9.5.13	चम्बा	5290	5090	200
6.	25810–25813 दिनांक –	सोलन	71212	69800	1412

2) पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कैश मैमों की क्रमबार जांच करने पर कुछ कैश मैमों न तो इनके कैश मैमों में पाए गए हैं व न ही इन कैश मैमों को रदद् किया गया दर्शाया गया है । अतः इस बारे उचित जांच उपरान्त लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए । उपरोक्त कैश मैमों का विवरण डिपोवार निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	**पुस्तक विक्रय केन्द्र का नाम**	**कैश मैमों जो न ही कैश मैमों में पाए गए व न ही रदद् किए गए दर्शाए गए हैं ।**
1	भोरजं	10640 व 20491
2.	चम्बा	21681–82, 21692, 22709, 21750, 22753, 22991, 22998
3	चौंतड़ा	23965 व 23966
4.	नाहन	27083, 21460 व 27279
5.	पपरोला	25195–96, 25206–14,25242 व 24151
6.	रोहड़ू	19925–28
7	शिमला	23088
8.	सोलन	21981, 21985 व 25660

3) पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा प्रेषित बैंक विवरणियां जिसे प्रत्येक माह सम्बन्धित बैंक जिस बैंक में डिपु का खाता है द्वारा डिपु को भेजा जाता है तथा जिसका इन्द्राज/रख–रखाब बैंक विवरणी रजिस्टर में किया जाता है, का मिलान कैश मैमों रजिस्टर जिसका महावार रख–रखाब किया गया है, के साथ मिलान करने पर कुछ पुस्तक विक्रय केन्द्रों में बैंक में कम राशि जमा पाई गई प्रतीत होती है जिसका डिपूवार व माहवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क0सं0	**डिपु का नाम**	**माह**	**कैश मैमों अनुसार राशि**	**बैंक में जमा राशि**	**बैंक में कम जमा राशि**
1.	हमीरपुर	सितम्बर, 2013	945735	945567	168
2.	शिमला	अगस्त, 2013	4258415	4249497	8918
3.	सोलन	फरवरी, 2014	315435	315335	100
4.	सोलन	मार्च, 2014	8728711	8621751	106960

				योगः—	**116146**

4) पुस्तक वितरण केन्द्र राजगढ़ व मण्डी की बैंक विवरण में अधिक राशि जमा पाई गई । अधिक जमा के कारणों को स्पश्ट किया जाए ।

कमांक	नाम डिपो	माह	बैंक में अधिक जमा राशि
1.	राजगढ़	नबम्बर, 2013	3510
2.	राजगढ	दिसम्बर, 2013	14500
3.	मण्डी	मार्च, 2014	163200
		योगः—	**181210**

5) निम्नलिखित दर्शाई गई राशियां शिक्षा विभाग को उधार बेची गई पुस्तकों के ऐवज में अधिक बसूल की गई है इन राशियों का भविष्य में सेल की जाने वाली पुस्तकों की राशि में समायोजित किया जाए ।

कमांक	जिसे विकय की	पुस्तक कोड	विकय दर	वास्तविक दर	मात्रा	अधिक विकय की गई राशि	कैश मैमों नं0
1.	उप निदेशक, शिक्षा जिला चम्बा	704	30	25	4027	20135	14315—16—18 दिनांक 10.8.13
2.	यथोपरि	711	—	—	—	1491	14318 दिनांक 10.6.13
3.	बीईईओ, कोटखाई, रोहडू	301—302	116	70	95	4370	05179 दिनांक 26.4.13
					योगः—	**25996**	

22. <u>हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विकय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएंः—</u>

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित निम्नलिखित पुस्तक विकय केन्द्रों का उनके विरूद्व दर्शाई गई अवधि का अंकेक्षण वर्ष 2013—14 के दौरान किया गया । सम्बन्धित

पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू उपलब्ध करवा दी गई है । इन पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण अनुवर्ती पैरों में दिया गया है ।

क्रमांक	पुस्तक विक्रय केन्द्र का नाम	अंकेक्षण की अवधि
1.	नाहन	4/2007 से 3/2013
2.	चम्बा	4/2005 से 3/2011

1) **₹18172/–के मुल्य की पुस्तकों का स्टाक में कम पाया जानाः–**

पुस्तक विक्रय केन्द्रों के स्टाक रजिस्टरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ₹18172/– की पुस्तकें स्टाक रजिस्टरों अनुसार दर्शाई मात्रा से वास्तविक मात्रा अनुसार कम पाई गई हैं जिनका विवरण निम्न दिया गया है । अतः उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों की छानबीन के उपरान्त दोशीयों के विरूद्व शीघ्र कार्यवाही करके पुस्तकों की कीमत की बसूली करने उपरान्त अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए ।

क्रमाक	**नाम पुस्तक वितरण केन्द्र**	**राशि**	**अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष**	**पैरा संख्या**
1.	चम्बा	16791/–	4/2005 से 3/2011	6
2.	नाहन	1381/–	4/2007 से 3/2013	4,5,6, व 11
	योगः–	18172/–		

2) **₹184835/– की पुस्तकें अन्य स्टॉक रजिस्टरों में अग्रेणित न करने बारेः–**

पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन के अंकेक्षण अवधि 4/2007 से 31.3.2013 तक के विभिन्न स्टॉक रजिस्टरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न पुस्तकों के शेष इत्यादि निकाले गए हैं लेकिन इन शेषों को आगामी स्टॉक रजिस्टरों में अग्रेणित नहीं किया गया है । जिसका विवरण पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में दिया गया है ।

क्रमांक	**पुस्तक का कोड**	**रजिस्टर नं0 व पृष्ठ**	**पुस्तक की मात्रा**	**मूल्य**	**कुल मूल्य**
1.	101	14/8	1677	28	**46956**
2.	102	14/17	1634	11	**17974**

3.	201	14/28	1935	44	**85140**
4.	202	14/36	2045	17	**34765**
				योगः–	**184835**

अतः स्टाक रजिस्टरों में अग्रेणित न की गई पुस्तकों के सम्बन्ध में चूक कर्ताओं से बसूली शीघ्र करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए अन्यथा इन पुस्तकों को अगले स्टॉक रजिस्टर में न लेने के विभागीय स्तर पर कारण स्पष्ट किए जाएं यदि ये पुस्तकें अप्रचलित घोषित की हैं तो सक्षम अधिकारी के आदेश दिखाए जाऐं तथा भविष्य में आन्तरिक जांच को सुदृढ़ बनाया जाए तथा इन रजिस्टरों का समय–2 पर सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्र के प्रभारी द्वारा नियमानुसार सत्यापन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

3) **<u>पुस्तक विक्रय केन्द्रों से अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों का हस्तांतरित तथा अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त पुस्तकों बारे ।</u>**

पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा व नाहन से विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों को स्थानान्तरित व अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त पुस्तकों से सम्बन्धित बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी आदेश जिनके अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त व हस्तान्तरित की गई है जिनका विवरण सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में व हस्तांतरण/प्राप्त वाउचरों में किया गया है, लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गए । अतः इन पुस्तकों के स्थानान्तरण की पुष्टि आन्तरिक निरीक्षण करवाकर प्रशासन द्वारा की जानी अपेक्षित है । यदि स्थानान्तरण प्रक्रिया में कोई विसंगति पाई जाती है तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई से लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए ।

23. <u>शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 के लिए कक्षा छठी से कक्षा आठवीं की पुस्तकों को बिना टैंडर आमन्त्रित किए वर्श 2012–13 की पुरानी दरों से मुद्रित करवाने से बोर्ड निधि को ₹22,73,093/– की वित्तीय हानि बारेः–</u>

शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 के लिए विभिन्न पुस्तक मुद्रण से सम्बन्धित आमन्ि‍त्रत टैंडरों की जांच के दौरान यह पाया गया कि इस वर्ष बोर्ड प्रशासन द्वारा अलग–2 कक्षाओं के लिए भिन्न–2 टैंडर आमन्त्रित किए गए तथा कुछ कक्षाओं का मुद्रण कार्य पुरानी दरों पर करवाया गया । इस प्रकार यह पाया गया कि एक सत्र की पुस्तकों को मुद्रित करवाने के लिए भिन्न–2 तीन प्रकार की दरें निम्नलिखित अधिसूचनाओं अनुसार निर्धारित की

गई, जबकि इससे पूर्व एक सत्र के लिए एक ही दर निर्धारित की जाती थी जो एक Uniform rate होता था ।

(1) छठी से आठवीं कक्षा की पुस्तकों को मुदित करवाने के लिए अधिसूचना संख्याः एच0बी0(5)उत्पादन/2011–3261–3400 दिनांक 11.8.2011 द्वारा अधिसूचित दरें लागू की गई जो शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012–13 की पुरानी दरें थी ।

(2) कक्षा तीसरी से पांचवी व नौंबीं कक्षा से 10+2 कक्षा की पुस्तकों को मुद्रित करवाने के लिए बाद में टैंडर आमन्त्रित किया गया जिसकी दरें अधिसूचना संख्याः एच.बी(5) उत्पादन/2012–10662–10692 दिनांक 12.9.2012 द्वारा अधिसूचित की गई ।

(3) पहली से दूसरी कक्षा के लिए मुद्रण दरें अधिसूचना संख्याः एच0बी0(5) उत्पादन/2012–12247 दिनांक 27.12.2012 द्वारा अधिसूचित की गई ।

शैक्षणिक सत्र वर्ष 2013–14 के लिए कक्षा छठी से आठवीं कक्षा तक की पुस्तकों को शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012–13 की दरों से मुद्रित करवाया गया जो वर्ष 2013–14 की दरों से काफी अधिक थी । जिससे बोर्ड को ₹2273093/– की वित्तीय हानि उठानी पड़ी है । (विवरण संलग्न परिशिष्ट .**'आई'**.. में वर्णित है) यदि ये पुस्तकें नई दरों से मुद्रित करवाई होती तो इस क्षति को रोका जा सकता था । यह मामला अधियाचना संख्याः 178 दिनांक 9.10.2013 के अन्तर्गत बोर्ड प्रशासन के ध्यान में आवश्यक उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु लाया गया था परन्तु आज दिन तक कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः अनुरोध है कि बिना टैंडर काल किए कक्षा छठी से आठवीं तक की पुस्तकें शैक्षणिक सत्र वर्ष 2012–13 की दरों से मुद्रित करवाने की क्या आवश्यकता थी जबकि इस सत्र की सभी पुसतकें मार्च, 2013 के बाद ही विक्रय की जानी थी तथा टैंडर काल करने के लिए भी काफी समय था व अन्य पुस्तकों के लिए भी बाद में टैंडर काल किया गया था । इस निर्णय से बोर्ड निधि को संलग्न परिशिष्ट **..'आई'.....** अनुसार ₹2273093/– की क्षति हुई है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कृपा करें ।

24. एस0ओ0एस0 स्टडी सामग्री (पुस्तकें) का मुद्रण अधिक दरों पर करवाने के फलस्वरूप लगभग ₹8,94,914/–की वित्तीय हानि बारेः

मैसर्ज वीर भूमि प्रिंटिंग प्रैस जालन्धर के बिल संख्याः 024 से 028 व बिल संख्या 032 से 036 राशि क्रमशः ₹922295 व ₹831377 जो एस0ओ0एस0 स्टडी सामग्री (पुस्तकें) मुद्रण से सम्बन्धित थे, की जांच के दौरान पाया गया कि जो उक्त मुद्रक को मुद्रण दरें दी गई थी वे पहले से अनुमोदित अधिसूचना संख्याः एच.बी(5) उत्पादन 2012–10662–0695 दिनांक 12.09. 2012 में वर्णित अनुमोदित दरों की अपेक्षा अत्याधिक अधिक थी । यह मामला ऑडिट मैमों दिनांक 11.2.2013 द्वारा उप–नियत्रंक (वित्त एवं लेखा) से उठाया गया था । ऑडिट अभियुक्तियों के प्रतिउत्तर जो दिनांक 19.2.2013 को उप नियंत्रक द्वारा दिए गए थे, का आंकलन लेखा परीक्षा द्वारा किया गया तथा निम्न प्रतिउत्तर संन्तोषजनक नहीं पाए गए थे ।

1) उप नियंत्रक(वित्त एवं लेखा) द्वारा यह उत्तर दिया गया था कि एस0ओ0एस0 (पुस्तकों) की मात्रा कम थी इसलिए मुद्रक को अधिक दरों पर भुगतान किया गया था परन्तु बोर्ड की उत्पादन शाखा के रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित पुस्तकों का मुद्रण भी शाखा द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 12.09.2012 में अनुमोदित दरों से करवाया था जिनकी मात्रा भी 10,000 पुस्तकों से कम थी ।

पुस्तक कोड	पुस्तक की मात्रा
615	5000
617	4500
602	12500
103	2000

2) यह उत्तर भी दिया गया कि एस0ओ0एस0 पुस्तकों का मुद्रण आपूर्ति आदेश से 30 दिनों में करवाया गया जबकि अन्य पुस्तकों की आपूर्ति 80 दिनों में करना निर्धारित था इसलिए मुद्रक को अधिक दर पर भुगतान किया गया था परन्तु यह तर्क भी औचित्यपूर्ण नहीं

लगता कि पुस्तकों की मुद्रण अवधि 80 से 30 दिन करने से मुद्रण दरों को लगभग 275 प्रतिशत पिछली दरों की अपेक्षा जो पहले ही अनुमोदित थी बढ़ाना नियमानुसार नहीं है ।

इसके अतिरिक्त कम्पोजिगं चार्जिज एस0ओ0एस0 पुस्तकों के मुद्रण के लिए ₹45/– प्रति पृष्ठ से भुगतान किया गया जबकि उचित दर ₹18/– प्रति पृष्ठ थी । यह भी पाया गया कि जो कागज मुद्रक के पास शेष रह गया था इसकी कीमत की बसूली उसी कीमत पर की गई जिस दर से हिन्दूस्तान पेपर लिमिटिड ने बोर्ड को कागज आपूर्ति किया गया था जबकि कागज की कीमत की बसूली या तो बाजार दर से या कागज की कीमत जमा अन्य खर्च जैसे भाड़ा, स्टोर खर्च व कार्यालय खर्च सहित किया जाना चाहिए था ।

इस तरह बोर्ड प्रशासन द्वारा सम्बन्धित मुद्रक को लगभग ₹894914/– का अधिक भुगतान किया था जोकि नियमानुसार नहीं था क्योंकि जब पहले ही कम दरों से यह कार्य करवाया गया था तो नये टैन्डर आमन्त्रित करके अधिक दर से भुगतान करने का क्या औचित्य था तथा पुरानी दरों पर 20 से 30 प्रतिशत की बढ़ौतरी करके कार्य करवाया जा सकता था न कि पिछली अनुमोदित दरों पर लगभग 275 प्रतिशत की बढ़ौतरी पर कार्य करवाया जाता । सम्बन्धित बिल लेखा परीक्षा द्वारा अधियाचना सं0 76 दिनांक 2.4.2013 व 129 दिनांक 1.7.2013 के अन्तर्गत पारित कर दिए गए थे ताकि मुद्रक को वित्तीय क्षति न हो तथा बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि एस0ओ0एस0 पुस्तकों की मुद्रण दरें तथा शेष बचे कागज की कीमत जिस दर से हिन्तुस्तान पेपर कारपोरेशन से क्रय किया था उसी दर से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए परन्तु आज दिन तक इसका औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि एस0ओ0एस0 पुस्तकों को नए टेंडर आमन्त्रित करके पुराने अनुमोदित दरों की अपेक्षा लगभग 275 प्रतिशत अधिक दर से मुद्रित करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए तथा मुद्रक के पास बचे शेष कागज की कीमत बाजार से या बोर्ड ने जिस दर से खरीदा था उस पर अन्य खर्च जैसे भाड़ा, स्टोर खर्च व अन्य कार्यालय खर्च सहित किया जाए ।

25. **<u>36 पृष्ठ की उत्तरपुस्तिका ओ.एम.आर टाईटल पृष्ठ (2) का मुद्रण व आपूर्ति कार्य मै0 मानक चन्द राजेन्द्रा कुमार चौड़ा रास्ता, जयपुर से बिना बाजारी प्रतिस्पर्धा के करने बारे :–</u>**

बोर्ड प्रशासन द्वारा 36 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका ओ0एम0आर0 टाईटल पृश्ठ सहित मुद्रण व आपूर्ति के लिए खुले टैण्डर दिनांक 7.6.2012 को आंमत्रित किए गए थे जो दिनांक 28.6.2012 को 3 बजे खोले जाने थे । केवल एक टैण्डर मै0 मानक चन्द राजेन्द्रा कुमार द्वारा उक्त तिथि तक प्राप्त हुआ था । उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) द्वारा सम्बन्धित संचिका की टिप्पणी–49 पर अंकित किया गया था कि क्योंकि केवल एक ही टैण्डर प्राप्त हुआ है तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता व सुझाव दिया कि नये टैण्डर आंमत्रित किए जाऐं।

उस समय के अध्यक्ष ने संचिका की टि0 54 पर यह स्वीकृति दी कि इस बार कुछ व्यक्तियों को पत्र के माध्यम से भी सूचित किया जाए तथा टैण्डर नोटिस दिल्ली में भी प्रकाशित किया जाए । इस प्रकार नये टैंडर बुलाये गए तथा टि0 58 पर यह लिखा गया कि निम्नलिखित फर्म को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाए परन्तु फर्म के नामों का उल्लेख नहीं था ।

प्राप्त टैण्डर को दिनांक 8.8.2012 को सम्बन्धित संचिका की टिप्पणी–67 से 75 पर खोले गए थे परन्तु न ही तुल्नात्मक विवरणी न ही नोटिंग शीट कमेटी के सदस्यों द्वारा उनकी उपस्थिति को दर्शाते हुए हस्ताक्षरित की गई थी ।

टैण्डर नोटिस में 3 मदों के लिए दरें मांगी गई थी । मद नं0 2 जो 36 पृष्ठ की उत्तर पुस्तका ओ0एम0आर0 टाईटल सहित मुद्रण व आपूर्ति की थी, के लिए केवल एक ही दर ₹3348/– प्रति हजार उत्तर पुस्तिका की दर से मैसर्ज मानक चन्द राजेन्द्रा कुमार चौड़ा रास्ता जयपुर द्वारा दी गई थी जबकि अन्य तीन फर्मो ने न ही दरें दी न ही वे इस कार्य को करने के लिए इच्छुक पाए गए थे क्योंकि उन्होंने टैंडर में यह लिख दिया था ।
संचिका की टि0 78 पर उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने यह प्रस्तावित किया कि मैसर्ज मानक चन्द द्वारा टैण्डर में भरी गई दर टैक्स व अन्य मुदों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम है

तथा इस फर्म को negotiation के लिए वुलाया जाए तब के सचिव व अध्यक्ष द्वारा इसे टिप्पणी 78–79 पर स्वीकार कर लिया गया था । टिप्पणी–84 अनुसार 27.8.2012 को सम्बन्धित फर्म से अध्यक्ष द्वारा negotiation की गई जिसके अनुसार 10+2 कक्षा की उत्तर पुस्तका के मुद्रित करवाने के लिए वही दर तय की गई जबकि दसवीं कक्षा की 32 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका के लिए दर ₹3325/– प्रति हजार तय की गई ।

टैण्डर/इकरारनामा की शर्तों व बोर्ड प्रशासन के अनुरोध कि 90 प्रतिशत भुगतान फर्म के पक्ष में शीघ्र किया जाए ताकि फर्म को किसी प्रकार का वित्तीय हानि न उठानी पड़े, लेखा परीक्षा द्वारा ₹5995422/– का भुगतान पारित कर दिया गया था ।

शेश राशि 1157803/– के भुगतान हेतु बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। 32 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका ओ0एम0आर0 टाईटल पृ0 (2) की मुद्रण व आपूर्ति से सम्बन्धित पूरी टैण्डर प्रक्रिया की जांच करने उपरान्त कुछ observations ऑडिट मैमों नं0 164 दिनांक 17.3.13 द्वारा बोर्ड प्रशासन के ध्यान में लाई गई जिसके प्रतिउत्तर का अवलोकन करने पर ऑडिट निम्नलिखित निष्कर्ष पर पंहुचा थाः–

(i) यह पाया गया कि मैसर्ज मानक चन्द राजेन्द्रा कुमार द्वारा मद संख्याः 2 के लिए quoted दर न्यूनतम नहीं थी क्योंकि अन्य तीन फर्मो ने कोई दर Quote नहीं की थी न ही वे कार्य करने के लिए इच्छुक थी जबकि टि0 78–79 पर बोर्ड प्रशासन ने मानक चन्द की दर टि0 84 पर negotation के उपरान्त न्यूनतम अनुमोदित कर दी थी ।

(ii) पिछली बार वर्ष 2010 में उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण कार्य लगभग ₹750000/– में करवाया गया था । वर्ष, 2012 के दौरान इस मद पर ₹7166050/– खर्च किए गए जो पिछले खर्च से लगभग 10 गुणा अधिक है ।

(iii) पिछली बार उत्तर पुस्तिकाओं की मुद्रण दरें निम्नलिखित थी ।

(a) 20 पृष्ठ ₹265/– प्रति हजार

(b) 24 पृष्ठ ₹285 / – प्रति हजार

(c) 4 पृष्ठ ₹11 / – प्रति हजार

जबकि इस बार वर्ष, 2012 में दरें जो अनुमोदित की वे इस प्रकार थीः–

(a) 36 पृष्ठ 10+2 कक्षा ₹3348 / –प्रति हजार

(b) 32 पृष्ठ 10बीं कक्षा ₹3325 / – प्रति हजार

इस प्रकार मुद्रण दरों में पिछली दरों की तुलना में लगभग 602 प्रतिशत की बढ़ौतरी पाई गई । जिसका कारण विना प्रतिस्पर्धा के दरें अनुमोदित करना था ।
बोर्ड प्रशासन ने इसका कारण यह दिया कि वर्श 2010 में परीक्षा scam हुआ था जिससे सम्बन्धित सरकार की high powered committee ने सुझाव दिया था कि बोर्ड अपनी कार्य कलापों में extensive कम्पयूटरीकृत प्रक्रिया अपनायेगा परन्तु ऑडिट का मत था कि exam scam, 2010 की आड़ में वित्तीय नियमों की अनदेखी टैंडरींग process में नहीं की जा सकती है तथा canans of financial propriety के प्रावधानों को scam की बजह से भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है ।

उप नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने जबाब दिया कि परीक्षा की requirement अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण कार्य एक single process से किया जाना था यदि यह single tender आधार पर किया जाना था तो टि0 78–79 पर न्यूनतम दर को क्यों अनुमोदित किया गया यदि तुलनात्मक विवरणी की जांच सही ढंग से की जाती तो यह स्थिति उत्पन्न न होती ।

इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट था कि सम्बन्धित संचिका की टि0 78–79 पर अनुमोदित दर न ही न्यूनतम थी न ही स्कूल शिक्षा बोर्ड के तब के अध्यक्ष से single tender की स्वीकृति ली गई थी ।

जब उक्त मामला वर्तमान अध्यक्ष के ध्यानार्थ लाया गया तो यद्यपि उन्होंने इसकी स्वीकृति single tender के आधार पर दे दी थी जिसके आधार पर तथा फर्म को

वित्तीय नुक्सान न हो यद्यपि भुगतान स्वीकार कर लिया गया परन्तु बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि एक ही दर को कैसे न्यूनतम स्वीकार कर लिया गया कि विभागीय जांच सुनिश्चित की जाए क्योंकि उक्त कार्य की मद वित्त नियमावली,2009 के नियम–104 के अधीन single tender के अन्तर्गत स्वीकार्य करने योग्य नहीं थी ।

26. **<u>परीक्षाओं के परिणाम के कार्य को outsource करवाने बारेः–</u>** मैसर्ज न्यूकलस इनफोटैक प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली के बिल नं0 225 दिनांक 23.2.2013 ₹1439827/– जो मार्च, 2013 की परीक्षाओं के परिणाम को सकलीकरण, processing एवम तैयार करने से सम्बन्धित था की जांच के दौरान ऑडिट मैमों नं0 134 दिनांक 1.7.2013 द्वारा निम्नलिखित अभियुक्तियां (observation) बोर्ड प्रशासन के ध्यान में लाई गई थी :–

1) बोर्ड प्रशासन ने हि0 प्र0 इलैक्ट्रोनिक्स विकास कारर्पोरेशन से निम्नलिखित स्टॉफ secondment आधार पर बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लिए जो पहले बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को तैयार करते थे तथा बोर्ड उनके विभाग को अलग से प्रति परीक्षार्थी की दर से भुगतान करता था ।

(i) System analysis –1 नं0

(ii) Computer operators – 7 नं0

2) 3 डाटा ओपरेटर DOEACC चण्डीगढ़ से बोर्ड में तैनात किए गए हैं ।

3) ₹295833/– बोर्ड कर्मचारियेां को कम्पयूटर ट्रनिगं के लिए HIPA शिमला को दिए गए थे ।

4) लगभग 30–35 क्लर्क के पदों की भर्ती वर्श 2011–12 में बोर्ड द्वारा की गई थी ।

5) वर्ष 2012 में परिणाम तैयार करने का कार्य बोर्ड स्टॉफ व मै0 व्योग टैक्नलोजी जो बोर्ड के विभिन्न कार्य कलापों को कम्पयूटरीकृत करने का कार्य कर रही थी जो इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन स्टाफ के अतिरिक्त थी द्वारा किया गया था ।

6) मै0 ब्योम टैक्नॉलोजी जिसे बोर्ड के विभिन्न कार्यकलापों के कम्पयूटरीकृत के लिए ₹4.90 करोड़ का ठेका दिया गया है द्वारा अलग से बोर्ड कर्मचारियेां को computer की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी तथा कर्मचारियों को परिणाम तैयार करने में सहायता कर रहे थे ।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की processing, compilation व preparation करने का कार्य बोर्ड स्टाफ, इलैक्ट्रोनिक्स कारर्पोरेशन के स्टाफ व ब्योम टैक्नलॉजी के सहयोग से पूरा करवाया जा सकता था तथा यह कार्य मै0 न्यूकलस इनफैटैक प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली से outsource करवाने का क्या औचित्य था उपरोक्त ऑडिट मैमों द्वारा स्पष्ट करने को कहा गया था ।

उपरोक्त audit observations के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत उत्तर सन्तोशजनक नहीं पाया गया है क्योंकि बोर्ड प्रशासन उक्त फर्म को कार्य आंबटन के फलस्वरूप कितनी राशि बचा पाए को स्पष्ट नहीं कर सका इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन के स्टॉफ को भी प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया । फर्म का उक्त बिल लेखा परीक्षा में इसलिए पारित कर दिया गया था कि फर्म को वित्तीय परेशानी न हो ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाए कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के processing, compilation व prepare करवाने का कार्य मै0 न्यूकलस इनफक्टो प्राईवेट लिमिटेड, दिल्ली से करवाने का क्या औचित्य था जबकि बोर्ड स्टाफ, इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन का स्टाफ, मै0 ब्योम कम्पनी व DOEACC चण्डीगढ़ का स्टाफ इस कार्य को पूर्व की भांति करने में सक्षम थे।

27. **<u>₹39974382/– बोर्ड की सामान्य निधि से पैंशन निधि में हस्तांतरण बारेः–</u>**

₹39974382/– सामान्य निधि से पैंशन निधि में हस्तान्तरण से सम्बन्धित वाउचर की जांच के दौरान पाया गया कि पैंशन निधि के बैंक खाता संख्याः 31727891274 में दिनांक 28.2.2014 को ₹1177424/ जमा थी तथा ₹392720146/– बतौर एफ0डी0आर0 इस निधि में जमा

थी । यद्यपि उक्त ₹39974382/– के हस्तान्तरण हेतु बोर्ड ने अपनी 101बीं बैठक दिनांक 9.9.2013 की मद संख्याः 26(6) जिसे अधिसूचना संख्याः हि0शि0बो0(22)पैंशन/मद नं0 26(6)/2013–3879–3960 दिनांक 8.10.2013 के अन्तर्गत अनुमोदित किया था परन्तु वित्त विभाग ने अपने पत्र संख्याः फिन–सी–ए(4)–11/99–11 दिनांक 31.3.2011 द्वारा केवल एक बार ऐसी lumsum transfer के लिए अनुमति दी थी वह भी जितनी पैंशन निधि में short fall थी वो भी निम्नलिखित शर्तों परः–

1) बोर्ड किसी प्रकार के surplus को पहले स्टेट सरकार के खाते में हस्तांतरित करेगा ।

2) प्रशासनिक विभाग/बोर्ड भविष्य में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी एक मुश्त राशि का हस्तान्तरण रोका जाए और वेतन व भत्तों पर एक निश्चित दर से पैंशन निधि में राशि स्थानान्तरित की जाए ताकि निधि में कोई कमी न रहे ।

3) प्रशासनिक विभाग/बोर्ड अपने नियमों में उपरोक्त उदेश्य हेतू आवश्यक परिवर्तन करे व आवश्यक अनुमोदन ले ।

इस प्रकार ₹39974382/– का बोर्ड की सामान्य निधि से पैंशन निधि हेतु हस्तान्तरण उचित नहीं था क्योंकि पैंशन निधि में दिनांक 28.2.2014 को लगभग ₹41 करोड़ की राशि उपलब्ध थी तथा हस्तांतरण वित्त विभाग के पत्र दिनांक 31.3.2011 के प्रावधानों के विपरीत था ।

यद्यपि उक्त राशि का हस्तान्तरण बिल ऑडिट द्वारा अधियाचना संख्याः 134 दिनांक 5.6.2014 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया था परन्तु बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि इस सम्बन्ध में बित्त विभाग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए परन्तु आज दिन तक उक्त लिया गया अनुमोदन लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि ₹39974382/– बोर्ड की सामान्य निधि से पैंशन निधि में स्थानान्तरित करने का अनुमोदन वित्त विभाग से लेने उपरान्त अब लेखा परीक्षा शाखा को दिखाया जाए तथा भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि पैंशन निधि में

एक मुश्त राशि का हस्तांतरण न किया जाए केवल वेतन व भत्ता पर निर्धारित दर से ही राशि का हस्तान्तरण किया जाए ताकि पैंशन निधि में कोई घाटा न रहे ।

28. **₹2730.16/– लाख के अग्रिम राशियों का समायोजन न करना ।**

बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों के अनुसार विभिन्न विविध प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.3.2014 तक ₹273016332/– की राशि असमायोजित है जिसका विवरण निम्नलिखित है। इनके समायोजन हेतु अतिशीघ्र पग उठाये जाऐं ।

क0सं0	अग्रिम राशि का विवरण	असमायोजित राशि ₹
1.	फलाईंग स्कयेड हेतु दी गई अग्रिम राशि	249000
2.	यात्रा भत्ता हेतु दी गई अग्रिम राशि	51350
3.	बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3 शाखा)	137788
4.	विभिन्न मुद्रकों/फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (उत्पादन शाखा व सेल शाख)	5453014
5.	विभिन्न फर्मों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–3)	166970565
6.	परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न अध्यापकों को दी गई अग्रिम राशि (लेखा–6)	77357297
7.	विभिन्न परीक्षकों, उप–परीक्षकों व अन्य को उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन हेतु दी गई अग्रिम राशि (लेखा–7)	22797318
	कुल योगः–	273016332

29. **<u>बोर्ड द्वारा बी0ई0ओ0 किलार पांगी और उप निदेशक शिक्षा जिला लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग को मुश्त पुस्तकों के स्थानान्तरण पर किए गए ₹25062/—के खर्च बारे :—</u>**

श्री कुर्म दत्त, प्रभारी पुस्तक विक्रय केन्द्र कुल्लू को बी0ई0ई0ओ0 किलार पांगी व उप निदेशक, शिक्षा लाहौल एवं स्पिति स्थित केलांग को मुफत पुस्तकें स्थानान्तरण करने हेतु ₹25000/— अग्रिम राशि दी गई थी । इस राशि के समायोजन के दौरान पाया गया कि ₹25062/— इन पुस्तकों को कुल्लू से किलार पांगी और लाहौल एवं स्पिति पंहुचाने के लिए किराया भाड़ा, लोडिंग व अनलोडिंग पर खर्च किए गए हैं जो बोर्ड निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है क्योंकि मुफत पुस्तकें सम्बन्धित संस्था द्वारा स्वयं ही पुस्तक विक्रय केन्द्र से उठाई जानी थी न कि यह खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाना था ।

इस सन्दर्भ में ऑडिट अधिचायना संख्याः 45 दिनांक 4.3.2014 द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि पुस्तकों के स्थानान्तरण पर किए अनियमित व्यय ₹25062/— की प्रतिपूर्ति का मामला सम्बन्धित शिक्षा विभाग से उठाया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि का क्रेडिट बोर्ड निधि में सुनिश्चित किया जाए । परन्तु आज दिन तक की गई अनुपालना से लेख परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है । अतः पुनः अनुरोध है कि ₹25062/— की प्रतिपूर्ति संबन्धित विभाग से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

30. **<u>चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारेः—</u>** जब से बोर्ड स्थापित हुआ था तब से आज तक बोर्ड के पास क्या—2 चल व अचल सम्पत्ति है, इस बारे में बोर्ड कार्यालय में कोई लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं है । अचल सम्पति रजिस्टर का जहां एक ओर रख—रखाब ही नहीं किया गया वहीं दूसरी ओर चल सम्पत्ति जैसे कि मेज, कुर्सियां, अल्मारियां, कम्पयूटर तथा ऐसे अन्य अनेक सामान के क्रय के तुरन्त उपरान्त स्टॉक रजिस्टर अनुसार सम्बन्धित शाखा को जारी करके शेष शून्य दर्शा दिया जाता है । अतः उपरोक्त अभिलेख के अभाव में बोर्ड की चल एवं अचल सम्पति का आंकलन किया जाना कठिन है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त रजिस्टरों का नियमानुसार रख–रखाब करने एवं अनुपालना उपरान्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए जाऐं ।

31. **स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापनः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में शेष पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जाता है । इस सन्दर्भ में गत वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में आपत्ति उठाए जाने के वावजूद यह अनियमितता लगातार जारी है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि इस बारे में सम्बन्धित अधिकारीयों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं ताकि भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्टॉक रजिस्टरों अनुसार शेष पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

32. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** ऑडिट अधियाचना संख्याः 47 दिनांक 4.3.2014 द्वारा सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाई गई है ।

33. **निष्कर्ष :–** लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है। विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान, भारी असमायोजित अग्रिम राशियों के समायोजन एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
उप नियंत्रक(ले0प0)
निवासी अंकेक्षण योजना,
हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला ।

हस्ता/–
निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.